

1

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक  
मुकाम टोंक व अलजाम डॉ.सूरजसिंह नेगी, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

## उनवान

1. सूर्यप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश जाति गरोडा निवासी छीपा कॉलोनी मेडिया रोड आई टी आई कॉलेज के पास ब्यावर जिला अजमेर वादी

## बनाम

1. रमेश पुत्र काना जाति रेगर निवासी अरनियानील हाल अहमदपुराचौकी तहसील व जिला टोंक
2. रामचन्द्रा पुत्र काना जाति रेगर निवासी अरनियानील हाल अहमदपुराचौकी तहसील व जिला टोंक
3. किशनलाल पुत्र काना जाति रेगर निवासी अरनियानील हाल अहमदपुराचौकी तहसील व जिला टोंक
4. तहसीलदार , टोंक प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री शिवराज टाण्डी—वकील वादी

## दावा बाबत— तकासमा आराजियात

### दावा नं० 191 / 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी जाती है कि दावा वादी तकासमा रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारो के मध्य संलग्न स्टाम्प अनुसार भूमि रहेगी।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17.7.2017 को जारी किया गया।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)  
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
मुद्दई			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन		
महन्तनामा वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहन			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफरिंक		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिंक					
मीशान					

नोट:—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)  
उपखण्ड अधिकारी, टोंक